



## सड़क सुरक्षा शपथ

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव :-

- 1 दो पहिया वाहन चलाते समय **BIS** मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पीछे बैठें व्यक्ति को भी पहनाएंगे।
- 2 चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे।
- 3 मोड़ों पर सावधानी से वाहन चलाएंगे।
- 4 तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे।
- 5 गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे।
- 6 वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे।
- 7 शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे।
- 8 सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।
- 9 यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुद वाहन सावधानी से चलाएंगे व सड़क पर ओरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे।

जय हिमाचल, जय भारत।

सुरक्षित प्रदेश

सुरक्षित सफर

हवा के झोंके से बुझी मोमबत्ती तो दोबारा जल जायेगी पर सड़क पर जरा सी लापरवाही में गयी जान वापस नहीं आयेगी।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ  
परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश





## परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



दोपहिया वाहन चलाते  
समय हेलमेट पट्टियों का प्रयोग करें

- दोपहिया वाहन में चालकों व पिछली सीट पर सवार लोगों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है।
- सुनिश्चित करें कि निर्धारित मानकों या विशेष रूप से आई एस आई मार्क वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें।
- दोपहिया वाहन चलाते समय सुनिश्चित करें कि हेलमेट सही ढंग से बांधा हो।
- दोपहिया वाहन केवल दो लोगों के लिए ही बना है। यदि दो से अधिक लोग दोपहिया वाहन पर सवारी करते हैं तो 1000 रूपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाईसेंस निलम्बित हो सकता है।
- हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में प्रदेश में दोपहिया वाहनों के हादसों की वजह से 324 लोगों की मृत्यु हुई है व 325 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 139 लोगों की मृत्यु हेलमेट का प्रयोग न करने की वजह से हुई है एवं पिछली सीट पर सवार व्यक्तियों द्वारा हेलमेट न पहनने की वजह से 73 लोगों की मृत्यु हुई है एवं 85 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- दोपहिया वाहन खतरनाक तरीके से चलाने पर 1 वर्ष तक की जेल अथवा 1000 रूपये जुर्माना हो सकता है।
- बारिश व बर्फबारी के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। दोपहिया वाहन चालकों को ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी अपनानी चाहिए।
- दोपहिया वाहन चलाते समय कलाबाजी न करें। वाहन के हैंडल पर अपने दोनों हाथ रखें।

## सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी



**परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.**

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



सुनिश्चित करें कि **वाहन चलाने** से  
**पहले सीटबेल्ट** लगाई हो

- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है ।
- सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है ।
- सीट बेल्ट का प्रयोग न करना आपके लिए घातक हो सकता है जिसके कारण गंभीर चोट, अपंगता अथवा मृत्यु तक हो सकती है ।
- देशभर में प्रति वर्ष 2023 में 47 वाहन चालकों की मृत्यु सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई हैं एवं 92 लोग सीट बेल्ट न लगाने की वजह से गंभीर व आंशिक रूप से घायल हुए ।

**आओ ! सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ।**



**परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड सेफ्टी सेल, हि.प्र.**

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in



## परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



ओवरलोडिंग पर  
जुर्माना  
₹ 20,000/- प्रथम टन  
इसके अतिरिक्त भार के लिए  
₹ 2000/- प्रति टन

वाहन में ओवर लोडिंग

बहुत खतरनाक है। न करें।


- हिमाचल में वर्ष 2023 में ओवरलोडिंग वाहनों के 30 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 34 लोगों ने अपनी जानें गवाई व 86 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- ओवरलोडिंग की वजह से डीजल की ज्यादा खपत होती है और गाड़ी के इंजन पर ज्यादा लोड आता है।
- ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों को क्षति पहुंचती है।
- ओवरलोडिंग वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका अधिक होती है।
- ओवरलोडिंग ट्रकों की क्लच प्लेट व ब्रेक खराब होने की संभावना अधिक होती है।
- ओवरलोडिंग वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अधिक भार होने की वजह से वह अस्थिर हो जाते हैं और घुमावदार मोड़ पर भी असंतुलित होकर रोलओवर हो सकते हैं।
- ओवरलोडिंग करने पर प्रथम टन के लिये 20,000 रूपये का जुर्माना और अतिरिक्त भार के लिए 2000 रूपये प्रति टन चार्ज होंगे।
- यदि परिवहन वाहन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से अधिक यात्रियों को वाहन में यात्रा करवाता है तो वह 200 रूपये प्रति सीट के जुर्माने द्वारा दण्डित होगा।

**यातायात नियमों का पालन करें,  
जुर्माने से बचें !**



**परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेप्टी सैल, हि.प्र.**

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950 ईमेल : [larsc-tpt@hp.gov.in](mailto:larsc-tpt@hp.gov.in) वेबसाइट : [roadsafety.hp.gov.in](http://roadsafety.hp.gov.in)



किशोरों द्वारा ड्राइविंग

जानलेवा हो सकती है

## क्या आप जानते हैं ?

- ❑ 18 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति को किशोर कहा जाता है व उसे सड़क पर गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं होता है।
- ❑ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ( क ) के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभिभावक/मालिक को भी दोषी माना जाता है।
- ❑ किशोरों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभिभावक/मालिक को 25000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष तक की जेल व 12 महीने के लिए मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द होगा।
- ❑ जिस किशोर ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है वह लरनिंग लाईसेंस (learning license) प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष की आयु तक अपात्र होगा।
- ❑ वर्ष 2023 में प्रदेश में 33 किशोर चालकों ने अपनी जान गंवाई है व 142 किशोर घायल हुए हैं।



परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950 ईमेल : [larsc-tpt@hp.gov.in](mailto:larsc-tpt@hp.gov.in) वेबसाइट : [roadsafety.hp.gov.in](http://roadsafety.hp.gov.in)



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



रक्षात्मक ड्राइविंग

सुरक्षित वाहन चलायें

सुरक्षित घर जायें !

- हमेशा अपने आस-पास की गतिविधियों की तरफ सचेत रहें।
- रक्षात्मक ड्राईविंग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक को अपने से आगे चलती गाड़ी के पिछले टायर सड़क को छूते दिख सकें।
- रोड चिन्हों का पूरी तरह पालन करें।
- चिन्हित स्पीड लिमिट के अनुसार ही वाहन चलायें।
- सीट हेड रेस्ट को कभी भी न हटाएं उससे आपकी गर्दन में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।
- स्टेयरिंग को 9 और 3 बजे या 10 और 2 बजे की स्थिति में पकड़ें।
- ड्राईविंग करते समय फोन का इस्तेमाल न करें व जरूरी कॉल आने पर सड़क किनारे गाड़ी रोककर बात करें।
- यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकावट महसूस कर रहे हों तो गाड़ी न चलाएं।
- शराब पीकर या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके गाड़ी न चलाएं।
- बारिश या बर्फबारी में गाड़ी की स्पीड कम रखें व अचानक ब्रेक न लगाएं, ऐसा करने से गाड़ी फिसल सकती है।
- धुंध के समय लो बीम हेड लाइट का इस्तेमाल करें।

**सचेत रहें - सदैव वाहन सावधानी से चलायें।**



**परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.**

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



ओवर स्पीडिंग न करें

- वर्ष 2023 में 825 हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं जिसमें 355 लोगों ने जान गवाई है जबकि 1207 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- प्रदेश में कुल सड़क हादसों में से 36.6 प्रतिशत हादसे ओवरस्पीडिंग की वजह से हुए हैं।
- जब आप अधिक गति में गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त दिमाग, दृष्टि व दूरी का सही आंकलन करने में धोखा हो जाता है।
- यदि आप अधिक गति से वाहन चलाएंगे तो अपने व औरों के जीवन को खतरे में डाल देंगे।
- अधिक गति से चलने वाले वाहनों के पास इतना समय ही नहीं होता कि वह दूसरे सड़क धारक की गलतियों को समझ सकें व समय पर अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकें।
- अत्याधिक गति का जुर्माना लाईट मोटर वाहन के लिए 1000 से 2000 रूपये, मीडियम, हेवी यात्री व मालवाहन वाहन के लिए 2000 से 4000 रूपये है तथा 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है।
- यदि चालक दूसरी बार ओवर स्पीडिंग का जुर्म करता है तो उसका ड्राइविंग लाईसेंस जब्त किया जा सकता है।

**आईए ! जिम्मेदार नागरिक बनें - यातायात नियमों का पालन करें।**



**परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.**

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

सड़क सुरक्षा



जीवन रक्षा

परिवहन विभाग

हिमाचल प्रदेश

VLTD

Vehicle Location Tracking Device

सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सहायता  
एवं सुरक्षा हेतु वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस



## VLTD की कार्यप्रणाली



आपातकालीन स्थिति में इसे पांच सेकेंड तक दबाएँ



कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा



पुलिस वाहन को ट्रैक करेगी और तुरन्त सहायता प्रदान करेगी



### पैनिक बटन का उपयोग कब करें ?

- अगर वाहन चालक ने जानबूझ कर मार्ग बदला हो।
- अगर वाहन चालक, परिचालक या अन्य यात्री से दुर्व्यहार करता है।
- अगर कोई दुर्घटना होती है।
- किसी भी आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सकता है।



परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950

ईमेल : [larsc-tpt@hp.gov.in](mailto:larsc-tpt@hp.gov.in) वेबासइट : [roadsafety.hp.gov.in](http://roadsafety.hp.gov.in)

- परिचालक को यात्रियों से संयम व अनुशासित तरीके से शालीनता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ।
- बस में स्वार यात्री को पूरे किराये की टिकट देगा । वैध किराया देने वाले व्यक्तियों को ले जाने से मना नहीं करेगा । यात्रियों से कभी भी अनुचित किराया वसूल नहीं करेगा ।
- बस के अन्दर किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान, नशे अथवा दुर्व्यवहार की अनुमति न दे ।
- आरक्षित श्रेणी के यात्रियों ( गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों व बुजुर्गों ) को प्राथमिकता देकर उनके लिए आरक्षित की गई सीटों पर बिठाए ।
- सड़क के किनारे वाहन रोककर यात्रियों को सामान चढ़ाने व उतारने में सहायता करे । बस में यात्रा के दौरान यदि कोई खराबी होती है तो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अन्य वाहन का प्रबंध करना होगा ।
- बस को निर्धारित की गई समय अवधि अर्थात समय सारणी के अनुसार ही चलाए ।
- अगर किसी यात्री का सामान बस में रह जाता है तो उसे सम्भालकर रखने तथा यात्री तक पहुंचाने की कोशिश करे ।
- बस में प्रथम उपचार चिकित्सा बॉक्स तथा अग्निशमन यन्त्र हो इसकी चालक व परिचालक दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदारी समझें ।
- किसी भी तरह की ऐसी वस्तु, उपकरण बस में न रखवायी जाये जो यात्रियों व बस की सुरक्षा में बाधक हो ।
- बस में सफाई का विशेष ध्यान रखें ।

## हमारा संकल्प सड़क सुरक्षा-अमूल्य जीवन रक्षा

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950

ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश



## सड़क सुरक्षा



## जीवन रक्षा

## बस चालकों व परिचालकों के कर्तव्य



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश



यात्री बस के संचालन में उसके चालक और परिचालक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बस में एक यात्री नहीं अपितु पूरा परिवार, समाज बैठा होता है, ऐसा समझना चाहिये। अतः सेवा भाव और ध्यान पूर्वक इन्हें अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिये और यात्री को सुगम व सुरक्षित बनाने हेतु नीचे दर्शाए गए कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए:-

### बस चालक (Driver) के कर्तव्य

- बस चालक का कर्तव्य है कि वह वाहन को ठीक से खड़ा कर के ही यात्रियों को चढ़ाए व उतारे।
- बस तकनीकी रूप से बिल्कुल फिट हो, सीटें सही अवस्था में हो व यात्रियों को सफर सुविधाजनक लगे।
- चालक व परिचालक बस चलाते समय व ड्यूटी के समय अपनी वर्दी में रहें व नेम प्लेट लगाकर रखें, बस का पासिंग, बीमा आदि वैध होने चाहिये।
- बस चलाते समय ड्राइवर अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर ही केंद्रित करे, ड्राइविंग के समय एल ई डी, मोबाईल, रेडियो व अन्य किसी भी संगीतमयी उपकरण का प्रयोग न करे।
- बस में निर्धारित सीटों से अधिक यात्री न बिठायें। परमिट व आर सी की शर्तों अनुसार ही बस चलायें।
- बस चालक बस चलाते समय किसी भी प्रकार की मदिरा या अन्य नशे का सेवन न करे।
- बस चालक निर्धारित की गई गति सीमा से तेज वाहन न चलाएं -बारिश, बर्फबारी व ओलावृष्टि के समय अधिक सचेत होकर धीमी गति से बस चलाएं।
- चालक यह सुनिश्चित करें कि सवारियां उठाने हेतु आपस में रेस न लगाएं न ही उदंडतापूर्वक वाहन चलाएं।
- चालक बस चलाते समय धैर्य, संयम व शान्त मन से ड्राइविंग करें।
- बस चलाते समय सड़क पर मौजूद अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के प्रति सम्मान का व्यवहार करें।

- बस चलाते समय चालक में अच्छे पूर्वानुमान के गुण, सड़क पर खतरों को भांपने व समझने की क्षमता होना चाहिये अर्थात किसी भी स्थिति में दुर्घटना से बचाव उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए।
- स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रिहाईशी इलाकों के पास से निकलते समय अपने वाहन की गति को कम करे व हॉर्न / प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें।
- अग्निशमन, एम्बुलेंस, पुलिस व अन्य एमरजेंसी वाहनों को जाने के लिए प्राथमिकता दें।
- दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त अस्पताल, प्रशासन, पुलिस को सूचित करें-संयम बरतें।

### बस परिचालक (Conductor) के कर्तव्य

- एक कुशल बस परिचालक का कर्तव्य है कि वह यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बस में चढ़ाये व उतारे।
- परिचालक सुनिश्चित करे बच्चों, बूढ़ों, दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को बस में बिठाते व उतारते समय विशेष ध्यान रखें।



Year	Accident	Fatal	Injury
2016	3168	1271	5764
2017	3114	1203	5452
2018	3110	1208	5551
2019	2873	1147	4903
2020	2239	893	3223
2021	2597	1,052	3454
2022	2598	1032	4063
2023	2253	889	3304
<b>TOTAL</b>	<b>21952</b>	<b>8695</b>	<b>35714</b>



परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेप्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 | 0177-2808950

ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबासइट : roadsafety.hp.gov.in

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

सड़क सुरक्षा



जीवन रक्षा

सावधानी से वाहन चलाएँ



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

## प्रदेश का सड़क दुर्घटना डाटा

- वर्ष 2023 में 2253 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 889 लोगों की मृत्यु हुई व 3304 लोग घायल हुए ।
- तेज गति से वाहन चलाने के कारण 825 सड़क हादसे हुए जिसमें 355 लोगों की मृत्यु हुई व 368 लोग गंभीर रूप में घायल हुए हैं । व 839 लोगों को हल्की चोटें आईं ।
- शराब पीकर या किसी अन्य नशे का सेवन करने की वजह से 20 लोगों की मृत्यु हुई व 44 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं । व 68 लोगों को हल्की चोटें आईं ।
- दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करने की वजह से 139 लोगों की मृत्यु हुई व 85 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 111 लोगों को मामूली चोटें आईं ।
- सीट बेल्ट का प्रयोग न करने की वजह से 47 लोगों की मृत्यु हुई है व 42 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा 50 लोगों को हल्की चोटें आईं ।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों/ किशोरों द्वारा वाहन चलाने की वजह से 33 किशोरों की मृत्यु हुई है व 142 किशोर घायल हुए हैं ।
- गंभीर एवम आंशिक रूप से घायल होने वाले सर्वाधिक व्यक्तियों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होती है ।

- सर्वाधिक सड़क हादसे दोपहर 6 बजे से रात्री 9 बजे तक होते हैं । इन 3 घंटों में प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का अनुपात 20.8 प्रतिशत है ।
- वर्ष 2023 में प्रदेश में हुए सड़क हादसों में से 47.7 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँ राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए हैं जबकि इनकी लम्बाई केवल 6.9 प्रतिशत है ।
- संस्थान क्षेत्रों के आस पास 102 सड़क हादसे हुए हैं जिसमें 46 लोगों की मृत्यु हुई व 488 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं । 122 पैदल राहगीरों की मृत्यु हुई है जिसमें सर्वाधिक दुर्घटनाएं कार, टेक्सी, वैन व दोपहिया वाहनों के साथ एक्सीडेंट से हुई हैं ।
- सर्वाधिक सड़क हादसों में दुर्घटनाग्रस्त वाहन छोटी गाड़ियां कार, टेक्सी व एल एम वी है । दूसरे स्थान पर दोपहिया वाहन व तीसरे स्थान पर ट्रक व लॉरी है ।
- ओवरलोडिंग या हेंगिंग के कारण कुल 30 हादसे हुए हैं जिसमें 34 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 86 लोग घायल हुए हैं ।
- ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले वाहनों की आयु 5 वर्ष से कम देखी गई हैं । अभिप्राय है कि अधिकतर सड़क हादसे वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुए हैं न कि वाहन में तकनीकी खराबी के कारण ।

## सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 12-01-2024 का सार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. राजसीकरण बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 12.01.2024 के आदेश के माध्यम से योजना के सीमित लाभ के बारे में चिंता व्यक्त की है और योजना के लिए स्थायी समिति को निर्देश दिया है जिन जागरूकता विकसित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करें। जारी किये गये निर्देशों का सारांश इस प्रकार है:



योजना के बारे में जन जागरूकता विकसित करने और जनता के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करें।



यदि दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वाहन की पहचान नहीं की जाती है, तो पुलिस घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करेंगे कि मुआवजे का दावा किया जा सकता है। योजना के तहत और दावा जांच अधिकारी का संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, कार्यालय पता) भी प्रदान करें।



पुलिस दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर दावा जांच अधिकारी को (S.D.M) पहली दुर्घटना रिपोर्ट अग्रोहित करेगी, जिसमें चोट लगने की स्थिति में पीड़ितों या पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधियों (यदि पुलिस स्टेशन के पास उपलब्ध हो) के नाम शामिल होंगे। (FAR) (First Accident Report) की प्राप्ति के बाद, यदि दावा आवेदन एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो दावा जांच दावेदारों से संपर्क करने और दावा आवेदन भरने में उनकी सहायता करने के अनुरोध के साथ संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को विवरण भेज देगी।



जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन जिसमें शामिल हैं:

- सचिव जिला स्तरीय सेवा प्राधिकरण (संयोजक)।
- जिले का दावा जांच अधिकारी (या, यदि एक से अधिक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा नामित दावा जांच अधिकारी (S.D.M)।
- जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं।



जिले में योजना के कार्यान्वयन और उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए समिति हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।



जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिव राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को मॉनिटर समितियों के कामकाज पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस न्यायालय की रजिस्ट्री को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।



ऊपर उल्लिखित निर्देशों के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।



Scan the QR code for Notification Scheme for Compensation to the Victim Hit & Run 20

For more information and Forms, log on to:  
<https://www.gjocouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/>

सड़क सुरक्षा



जीवन रक्षा

## टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022

टक्कर मार कर भागना मोटरयान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआबजा

हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआबजा दिया जाएगा

₹ 2 लाख  
मृत्यु के मामले में

₹ 50,000  
गंभीर चोट के मामले में



<https://online.himachaltransport.hp.gov.in>

# क्लेम हेतु सरल समयबद्ध प्रक्रिया

# दावा निपटान प्रक्रिया

**आवेदक**  
पीड़ित (गंभीर चोट के मामले में) या कानूनी प्रतिनिधि यदि (पीड़ित की मृत्यु के मामले में)

1

जमा करना आवेदन

**दावा जांच अधिकारी**  
उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M) जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो

2

जांच करना प्रतिवेदन के 1 महीना अंदर \*

**दावा निपटान आयुक्त**  
जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, कलेक्टर (D.C)

3

मंजूरी आदेश 15 दिन के अंदर


**सामान्य बीमा परिषद**  
मोटर वाहन दुर्घटना निधि ट्रस्ट की ओर से

4

आवेदक को मुआवजे का हस्तांतरण 18 दिन के अंदर



दावा निपटान प्रक्रिया के अनुसार हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022



यदि किसी रिपोर्ट को आने की जांच के लिए मुआवजा भुगतान कमिश्नर द्वारा लौटा दिया गया है तो 15 दिन में। (Claim Settlement Officer)

# दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, रिपोर्ट दावा जांच अधिकारी S.D.M - Cum Claim anchor officer) को वापस की जा सकती है, जिसमें जांच के विशेष बिंदुओं को दर्शाया जा सकता है।

^ दावा निपटान आयुक्त को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, 30 दिनों की अगली अवधि के भीतर भुगतान किया जा सकता है।





# टक्कर मार कर भाग जाना स्थिति में मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना - 2022

# COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME- 2022



TO THE VICTIMS  
OF HIT-AND-RUN  
MOTOR ACCIDENTS

Victims of Hit & Run will be given Compensation of  
**₹ 2 LAKHS** IN CASE OF DEATH  
**₹ 50,000** IN CASE OF GRIEVOUS HURT

आवेदक द्वारा मामला जाँच अधिकारी को जाँच हेतु दिया / प्रस्तुत किया जाएगा

आवेदक द्वारा मामला दावा जाँच अधिकारी (SDM) के समक्ष भेजा जायेगा

एक माह तक मोटर वाहन की पहचान न होने की रिपोर्ट दावा जाँच अधिकारी (SDM) को सौंपेगा

जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर निपटान आयुक्त (DC) द्वारा मुआवजा आदेश बीमा कम्पनी को दिया जायेगा

बीमा कंपनी द्वारा घायल व्यक्ति को दावे की रकम दी जाएगी



## क्लेम हेतु सरल समयबद्ध प्रक्रिया

आवेदक

पीड़ित (गंभीर चोट के मामले में) या कानूनी प्रतिनिधि यदि (पीड़ित की मृत्यु के मामले में)



आवेदन करना



दावा जाँच अधिकारी

उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M) जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो



2

जाँच करना प्रतिवेदन के 1 महीना अंदर \*

दावा निपटान आयुक्त

जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, कलेक्टर (D.C)

3



मंजूरी आदेश 15 दिन के अंदर

सामान्य बीमा परिषद

मोटर वाहन दुर्घटना निधि ट्रस्ट की ओर से



4

आवेदक को मुआवजे का हस्तांतरण 18 दिन के अंदर

## दावा निपटान प्रक्रिया

जाँच अधिकारी

गंभीर रूप से घायल या मृतक का कानूनी प्रतिनिधि

पहली दुर्घटना रिपोर्ट - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

1. फॉर्म I (आवेदन) आईडी पूर के साथ।
2. दावेदार के बैंक खाते की पासबुक की प्रति लिपि।
3. पीड़ित का इलाज करने वाले अस्पताल के कैशलेस/उपचार बिल, यदि कोई हो, की प्रति लिपि।
4. फॉर्म V (अंडरटेकिंग)।



1 महीना \*

दावा जाँच अधिकारी

उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M) जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो से संबंधित

फॉर्म II (रिपोर्ट)।

दावा निपटान अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट/उप. राजस्व जिले के आयुक्त/कलेक्टर/कार्यालय प्रभारी

15 दिन

1. फॉर्म III (आदेश) प्रति लिपि।
2. फॉर्म I और II संलग्नकों के साथ और IV के लिए।
3. बैंक विवरण।



सामान्य बीमा परिषद

Transfer of compensation (मुआवजे का हस्तांतरण)



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. राजसीकरण बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 12.01.2024 को योजना के लिए स्थायी निति बनाने का निर्देश दिया गया जिस में इस योजना के बारे में जन जागरूकता विकसित करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी करने का आदेश दिया। जारी किए गए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है



यदि दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वाहन की पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करेगी कि मुआवजे का दावा किया जा सकता है। योजना के तहत दावा जाँच अधिकारी का संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, कार्यालय पता) भी प्रदान करें।



पुलिस दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर दावा जाँच अधिकारी को (S.D.M) पहली दुर्घटना रिपोर्ट अवरोधित करेगी, जिसमें चोट लगने की स्थिति में पीड़ित या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों (यदि पुलिस स्टेशन के पास उपलब्ध हो) के नाम शामिल होंगे। (FAR) (First Accident Report) की प्राप्ति के बाद, यदि दावा आवेदन एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो दावा जाँच दावेदारों से संपर्क करने और दावा आवेदन भरने में उनकी सहायता करने के अनुरोध के साथ संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को विवरण भेज देगी।



जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

- सचिव जिला स्तरीय सेवा प्राधिकरण (संयोजक)।
- जिले का दावा जाँच अधिकारी (या, यदि एक से अधिक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा नामित दावा जाँच अधिकारी (S.D.M)।
- जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं।



जिले में योजना के कार्यान्वयन और उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए समिति हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।



जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिव राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को मॉनिटर समितियों के कामकाज पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस न्यायालय की रजिस्ट्री को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

ऊपर उल्लिखित निर्देशों के लिए अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।



Scan the QR code for Notification on Scheme for Compensation to the Victim of Hit & Run 2022

For more information and Forms, log on to: <https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/>